न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— आर. के. जायसवाल, आई.ए.एस. जिला कलक्टर धौलपुर

मुकदमा नम्बर :— 26/2019 (Rcms No:-2019/00048)

उनवानी प्रकरण :—

1. मानसिंह पुत्र रामसिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम अतरसूमा तहसील बसेडी जिला धौलपुर ———————————————————प्रार्थी।

बनाम

1. सरदार सिंह पुत्र करन सिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम अतरसूमा तहसील बसेडी जिला धौलपुर
2. आवंटन सलाहकार समिति बसेडी जरिये अध्यक्ष,
3. तहसीलदार बसेडी जिला धौलपुर ——————————————अप्रार्थीगण।

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970

उपस्थिति :—

1. प्रार्थी की ओर से :— श्री योगेश कुमार शर्मा अभिभाषक।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से :— श्री श्रीकान्त श्रीवास्तव अभिभाषक।
3. अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से :— श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभि0।

निर्णय दिनांक :— 13.2.2020

निर्णय

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत इस आशय का पेश किया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 1207/731 रकवा 0.4000 हैक्टेयर खसरा नम्बर 730/2 रकवा 0.47000 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 732 रकवा 0.14000 हैक्टेयर वाके ग्राम अतरसूमा तहसील बसेडी का मुताविक मिलान क्षेत्रफल वर्ष 2005—2025 साविक (गत) खसरा नम्बर 604/1053 रकवा 2 बीघा 12 विस्वा, खसरा नम्बर 604/1054 रकवा 3 बीघा तथा 604/1055 रकवा 11 विस्वा था तथा जिनका मुताविक मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2022 से 2028 गत खसरा नम्बर 1/1 था तथा गत खसरा नम्बर 1/1 सम्वत् 2017 से 2020 में गैर मुमकिन सरकारी पहाड भूमि थी, जो धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी से तथा कृषि योग्य आवंटन से वर्जित भूमि की श्रेणी में थी तथा जिस पर आवंटन के पूर्व से प्रार्थी तथा अन्य व्यक्तियों का कब्जा था। अप्रार्थी संख्या 1 ने साजिसन अवैध रूप से बिना किसी आवंटन व नियमन के दिनांक 26.8.2015 को अप्रार्थी संख्या 3 से साज कर सन् 1968 का आवंटन अपने पक्ष में करवाते हुए जरिये नामान्तकरण संख्या 355 गैर

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिये। तथा बिना किसी सक्षम आदेश व नामान्तरकरण के उक्त हाल खसरा नम्बर 730/2, 732, 1207/731 पर अवैध रूप से खातेदारी इन्द्राजात अंकित करा लिये हैं। विवादित आराजी खसरा नम्बर 730/2, 732, तथा 1207/731 वाके ग्राम अतरसूमा का गत खसरा नम्बर सम्वत् 2028 से पूर्व 1/1 था तथा गत खसरा नम्बर 1/1 वाके ग्राम अतरसूमा गैर मुमकिन पहाड भूमि थी जिसको कानूनन किसी भी व्यक्ति के पक्ष में आवंटित व नियमन नहीं किया जा सकता है। लिहाजा तहसीलदार बसेडी द्वारा दिया गया आदेश तारीखी 26.8.2015 अवैध है। विवादित आराजी पर प्रार्थी तथा गाँव के अन्य व्यक्तियों का कब्जा सन् 1968 के पूर्व से है, जो वर्तमान में भी है। तथा कानूनन वैध किस्म की भूमि का आवंटन व नियमन तब तक नहीं किया जा सकता है, जब तक कि कब्जेधारी को विधिक प्रक्रिया अपना कर बेदखल न किया गया हो तथा इस प्रार्थना पत्र में विवादित भूमि से कब्जे धारियों को वैध रूप से कभी भी बेदखल नहीं किया गया है, लिहाजा तथाकथित आवंटन तथा आदेश तारीखी 26.8.2015 अवैध है। अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में सन् 1968 में या अन्य किसी दिवस को विवादित खसरा नम्बरान का आवंटन नहीं किया गया है तथा आदेश तारीखी 26.8.2015 में भी आवंटन की स्पष्ट तारीख एवं महीना अंकित नहीं हैं। लिहाजा आवंटन सन् 1968 के आधार पर तहसीलदार बसेडी द्वारा पारित आदेश तारीखी 26.8.2015 भी अवैध है। अप्रार्थी द्वारा 3 द्वारा आवंटन सन् 1968 के आधार पर खसरा नम्बर 730 731, 732 वाके ग्राम अतरसूमा पर गैर खातेदारी अंकित करने हेतु आदेश सरवन पुत्र करन सिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम अतरसूमा के पक्ष में किया गया था तथा उक्त खसरा नम्बरान पर जरिये नामान्तकरण संख्या 355 गैर खातेदारी का इन्द्राज अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में अवैध रूप से किया गया है। जबकि सरदार सिंह के पक्ष में गैर खातेदारी के अमल हेतु कोई आदेश भी नहीं था, ना ही कोई आवंटन ही था। आराजी खसरा नम्बर 732, 1207/731, 730/2 वाके ग्राम अतरसूमा की जमाबन्दी खाता संख्या 390 सम्वत् 2073 से 2076 में अप्रार्थी संख्या 1 जरिये नामान्तरकरण संख्या 355 गैर खातेदारी दर्ज है तथा उक्त खसरा नम्बरान को अप्रार्थी संख्या 1 ने साजिसन बिना किसी आदेश के तथा बिना किसी नामान्तरकरण के जमाबन्दी खाता संख्या 403 सम्वत् 2073 से 2076 अपनी खातेदारी में अंकित करवा लिया है। अप्रार्थी संख्या 1 सन् 1968 में तथाकथित आवंटन के वक्त भूमिहीन व्यक्ति की श्रेणी में भी नहीं आता है। अप्रार्थी संख्या 1 आराजी खसरा नम्बर 1085, 683, 764, 768, 840, 841, 857, 950, 951, 974, 987, 1033, 107, 1088, 823, 953 का खातेदार काश्तकार था तथा कानूनन अप्रार्थी संख्या 1 विवादित भूमि को जरिये आवंटन प्राप्त करने का किसी भी दृष्टिकोण से अधिकारी नहीं था। अप्रार्थी संख्या 1 ने मिथ्या कथन अंकित करते हुए दुर्व्यदेशन के आधार पर साजिसन बिना किसी आवंटन के सरकारी भूमि को हड़पा है। अप्रार्थी संख्या 1 नावालिग था तथा नावालिग कानूनन आवंटन के योग्य नहीं होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में हुए अवैध तथाकथित आवंटन सन् 1968 निरस्त किया जावे तथा उसके आधार पर हुए आदेश तारीखी 26.8.2015 को निरस्त किया जावे एवं विवादित आराजी को पुनः सरकारी भूमि अंकित करने के आदेश दिये जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस इस आशय का जारी किया गया कि उनको इस नोटिस के सम्बन्ध में कोई उजदारी हो तो असालतन व वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें।

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री श्रीकान्त श्रीवास्तव अभिभाषक ने उपस्थित होकर अपना वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्य 2 व 3 की ओर से श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए।

अप्रार्थी संख्या 1 के अभिभाषक ने नोटिस का जबाव प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 से पूर्व जिस आराजी का विवरण अंकित किया है उसमें यह कथन गलत है कि वादग्रस्त आराजी गत खसरा नम्बर 1/1 सम्वत् 2017 से 2020 में गैर मुमकिन पहाड भूमि थी जो धारा 16 आर.टी.ए. के तहत कृषि योग्य आराजी से वर्जित भूमि की श्रेणी में थी। बल्कि आवंटन योग्य भूमि थी। इस विवरण में यह भी गलत अंकित किया है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने साजिसन अवैध रूप से बिना किसी आवंटन व नियमन के दिनांक 26.8.2015 को अप्रार्थी संख्या 3 से साजिश कर आवंटन अपने पक्ष में करवाते हुए गैर खातेदारी व खातेदारी के अंकन कृषि भूमि पर अवैध प्राप्त कर लिये हैं। यह कथन गलत है कि आवंटित रकवा गैर मुमकिन पहाड की भूमि है तथा आवंटन व नियमन योग्य नहीं है तथा तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.8.2015 अवैध है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में अंकित तथ्य गलत है। अप्रार्थी के पक्ष में हुए आवंटित रकवे पर प्रार्थी अथवा अन्य किसी का कोई कब्जा नहीं था। बल्कि उक्त रकवे पर अप्रार्थी उत्तरदाता का कब्जा आवन्टन से पूर्व था। आवंटित रकवा पूर्ण रूप से आवंटन योग्य भूमि थी जिसका विधिवत आवंटन अप्रार्थी उत्तरदाता के पक्ष में किया गया था। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 में अंकित कथन गलत है । अप्रार्थी के पक्ष में सन् 1968 में किया गया आवंटन विधिवत था। आवंटन प्रार्थना पत्र पर आवंटन की तारीख 14.6.1968 स्पष्ट रूप से दोनों पेजों पर अंकित है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 मे अंकित कथन गलत है। अप्रार्थी स्वयं ने अपने हस्ताक्षर से आवंटन अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया था। उसी के आधार पर आवंटन कमेटी द्वारा अप्रार्थी के नाम से आवंटन आदेश दिया गया था। आवंटन आदेश व कब्जे के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 355 के द्वारा प्रार्थी के नाम गैर खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये। तत्पश्चात् अप्रार्थी को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये तथा राजस्व रिकोर्ड में अप्रार्थी के नाम का अंकन विधिवत पूर्ण जाँच के पश्चात् किया है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 में अंकित कथन राजस्व रिकोर्ड के विपरीत होने के कारण गलत है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 6 गलत है अप्रार्थी वक्त आवंटन भूमिहीन था तथा आवंटन के योग्य पात्र था। राजस्व कर्मचारियों द्वारा जाँच करने के पश्चात् उसे आवंटन योग्य पात्र पाया था। वक्त आवंटन अप्रार्थी वयस्क था। मद संख्या 8 व 9 कानूनी है। प्रार्थना पत्र रेवन्यू कोर्ट मैन्यूअल में अंकित नियमों के अनुसार प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थना पत्र में ना तो न्याय शुल्क का विवरण अंकित किया है और ना ही यह अंकित किया है कि प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि पेश है अथवा अवधि बाहर इसके अतिरिक्त प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में प्रार्थी की आयु अंकित नहीं की है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र रंजिशन पेश किया है। क्योंकि प्रार्थी व अन्य लोग ग्राम अतरसूमा की चारागाह भूमि को अनाधिकृत रूप से जोत रहे थे। जिसकी शिकायत अप्रार्थी हरीओम ने तहसीलदार बसेडी को दिनांक 7.8.2018 को की थी। जिस पर प्रार्थी ने अप्रार्थी के साथ झगडा किया था। जिसके कारण पुलिस थाना बसेडी ने प्रार्थी व अप्रार्थी को न्यायालय उपखण्डाधिकारी बसेडी में धारा 107/151 सी.आर.पी.सी. के तहत इस्तगासा पेश किया था। जिसमें दोनों पक्षों को 25-25 हजार रूपये के

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

मुचलकों पर रिहा किया था। प्रार्थना पत्र म्याद बाहर पेश किया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे ।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि तहसीलदार बसेडी को भेजकर उनकी टिप्पणी प्राप्त की गई। तहसीलदार बसेडी ने अपनी टिप्पणी दिनांक 9.8.2019 में अवगत कराया है कि ग्राम अतरसूमा के राजस्व रिकोर्ड सम्बन्धी 2074–2077 में विवादित खसरा नम्बर 730/2 रकवा 0.47 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1207/731 रकवा 0.40 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 732 रकवा 0.14 हैक्टेयर की किस्म जमीन डहरी प्रथम है। इससे पूर्व जमाबन्दी सम्वत् 2026–2029 में उपर्युक्त हाल खसरा नम्बर के गत साविक खसरा नम्बर 604/1053, 604/1054, 604/1055 की किस्म जमीन डहरी अब्बल है तथा इससे पूर्व जमाबन्दी सम्वत् 2013–2016 में उपर्युक्त खसरा नम्बर के गत खसरा नम्बर 1/1 रकवा 550 बीघा 11 विस्वा की किस्म जमीन ऊसर रिकोर्ड दर्ज है। ग्राम अतरसूमा के खसरा नम्बर 731 रकवा 0.76 है में से मृतक गंगाराम के वारिश होतम वगैरा पुत्र गंगाराम ने रकवा 0.12 है. मानसिंह पुत्र राम सिंह ने रकवा 0.06 हैक्टेयर, ओमप्रकाश पुत्र पतिराम ने रकवा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 730 रकवा 0.66 हैक्टेयर में से मानसिंह पुत्र रामसिंह ने रकवा 0.06 हैक्टेयर, भूरे पुत्र पतिराम ने रकवा 0.12 हैक्टेयर, पर अतिक्रमण कर रखा है। जिनको समय–समय पर मौके से बेदखल किया जाता रहा है। प्रार्थी द्वारा विवादित उपर्युक्त खसरा नम्बर आवंटन नहीं होना बताया है इस सन्दर्भ में आवंटन ओदश दिनांक 1968 का मूल आवंटन पत्रावली के आधार पर तत्कालीन तहसीलदार बसेडी ने पत्र क्रमांकःटीआरए/2015/543–45 दिनांक 26.8.2015 को पटवार हल्का अतरसूमा के खसरा नम्बर 730, 731, 732 किता 3 रकवा 1.01 हैक्टेयर भूमि को गैर खातेदार दर्ज करने के आदेश दिये गये थे, जिसमें लिपिकीय त्रुटि हो जाने के कारण सरवन को काटकर सरदार किया गया है। विवादित खसरा नम्बर के नामान्तकरण संख्या 355 दिनांक 5.9.2015 द्वारा सरदार पुत्र करन सिंह जाति ठाकुर गैर खातेदार दर्ज किया था। उसके बाद पटवारी हल्का द्वारा सैग्रीगेशन के समय उपर्युक्त खसरा नम्बर भूल से गैर खातेदार से खातेदार दर्ज हो गया था, जिसकी जानकारी मिलने पर पटवारी हल्का द्वारा शुद्धि की कार्यवाही कराई गई। जिसमें तहसीलदार बसेडी ने पत्र दिनांक 18.7.2019 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को गैर खातेदार करने हेतु पटवारी हल्का को आदेश दिया गया, जिसकी पालना मे संशोधित नामान्तकरण दर्ज किया गया, परन्तु न्यायालय द्वारा उक्त खसरा नम्बर पर स्थगन आदेश होने के कारण नामान्तकरण स्वीकृत नहीं हो सका। वर्तमान जमाबन्दी संख्या 2074–2077 के खाता संख्या 403 में सरदार सिंह पुत्र करन सिंह जाति ठाकुर निवासी अतरसूमा खातेदार का नाम दर्ज है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी खाता संख्या 403 सम्वत् 2073–2076, मिलान क्षेत्रफल खसरा नम्बर 730, 731, 732 सम्वत् 2005–2025 वाके ग्राम अतरसूमा, प्रमाणित प्रतिलिपि नामान्तकरण संख्या 355, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी खाता संख्या 1 सम्वत् 2069–2072 वाके ग्राम अतरसूमा, फोटो प्रति आदेश तहसीलदार बसेडी दिनांक 26.8.2015, प्रमाणित प्रतिलिपि खसरा गिरदावरी सम्वत् 2024–2027 खसरा नम्बर 604 वाके ग्राम अतरसूमा, प्रमाणित प्रतिलिपि खसरा परिवर्तनशील सम्वत् 2044 खसरा नम्बर 732, प्रमाणित प्रतिलिपि खसरा गिरदावरी सम्वत् 2024 खाता संख्या 12, प्रमाणित प्रतिलिपि खसरा परिवर्तनशील सम्वत् 2055

(आर० के० जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

खसरा नम्बर 604/1054 वाके ग्राम अतरसूमा, प्रमाणित प्रतिलिपि खसरा परिवर्तनशील सम्वत् 2055 खसरा नम्बर 604/1054, प्रमाणित प्रतिलिपि खसरा परिवर्तनशील सम्वत् 2061 खसरा नं. 604/1053, प्रमाणित प्रतिलिपि खसरा परिवर्तनशील सम्वत् 2067 खसरा नम्बर 731, 730 वाके ग्राम अतरसूमा, प्रमाणित प्रतिलिपि खसरा परिवर्तनशील खसरा नम्बर 730, 731 प्रमाणित प्रतिलिपि खसरा परिवर्तनशील सम्वत् 2068 खसरा नम्बर 730, 731, प्रमाणित प्रतिलिपि रसीद अन्तर्गतधारा 91, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी खाता संख्या 390 वाके ग्राम अतरसूमा सम्वत् 2073–2076, प्रमाणित प्रति मिलान क्षेत्रफल मौजा अतरसूमा तहसील बसेडी सम्वत् 2022–2028, प्रमाणित प्रतिलिपि खसरा गिरदावरी खाता संख्या 1/1 सम्वत् 2014–2017, प्रमाणित प्रति खसरा सेटलमेन्ट खसरा नम्बर 604/1053, 604/1054, 604/1055 वाके ग्राम अतरसूमा सम्वत् 2017–2020, फोटो प्रति राशन कार्ड सरदार सिंह, प्रमाणित प्रतिलिपि खसरा परिवर्तनशील सम्वत् 2062 तथा 2067 वाके ग्राम अतरसूमा, प्रमाणित प्रतिलिपि मिलान क्षेत्रफल ग्राम अतरसूमा सम्वत् 2005 से 2025, प्रमाणित प्रतिलिपि मिसल बन्दोवस्त खाता संख्या 114 वाके ग्राम अतरसूमा सम्वत् 2005 से 2025 तक प्रमाणित प्रतिलिपि मिसल बन्दोवस्त खाता संख्या 156 वाके ग्राम अतरसूमा सम्वत् 2012, प्रमाणित प्रतिलिपि मतदाता सूची विधान सभा क्षेत्र बसेडी निर्वाचन क्षेत्र 77 भाग संख्या 39 क्रमांक संख्या 577 सरदार पुत्र करन सिंह पेश की ।

अप्रार्थी संख्या 1 के अभिभाषक ने अपने जबाव के समर्थन में सरपंच ग्राम पंचायत अतरसूमा द्वारा जारी प्रमाण पत्र की फोटो प्रति, फोटो प्रति नामा0 संख्या 355, फोटो प्रति प्रकरण संख्या 74/2019 सरकार बनाम हरिओम, फोटो प्रति खसरा गिरदावरी सम्वत् 2062 से 2066, फोटो प्रति अलोटमेन्ट आदेश, फोटो प्रति खसरा गिरदावरी सम्वत् 2074 से 2075 तथा 2073, फोटो प्रति जमाबन्दी खाता संख्या 459 सम्वत् 2074 से 2077, फोटो प्रति जमाबन्दी खाता संख्या 55 सम्वत् 2074 से 2077 फोटो प्रति जमाबन्दी खाता संख्या 72 सम्वत् 2074 से 2077 फोटो प्रति जमाबन्दी खाता संख्या 220 सम्वत् 2074 से 2077, राज. माध्यमिक विद्यालय अतरसूमा द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र की असल प्रति, फोटो प्रति जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 खाता संख्या 403 फोटो प्रति खसरा गिरदावरी ग्राम अतरसूमा सम्वत् 2073–2077 पेश किये।

अप्रार्थी संख्या 3 तहसीलदार बसेडी ने अपनी टिप्पणी के साथ आवंटन सम्बन्धी पत्रावली किता 3 एवं जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077, 2026–2029, 2013–2016, 2017–2020 की प्रति प्रस्तुत की।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 1207/731, 730/2, 732 वाके ग्राम अतरसूमा तहसील बसेडी के मुताविक मिलान क्षेत्रफल वर्ष 2005–2025 साविक (गत) खसरा नम्बर 604/1053, 604/1054, 604/1055 थे। इन नम्बरों के भी मुताविक मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2022 से 2028 गत खसरा नम्बर 1/1 था। गत खसरा नम्बर 1/1 सम्वत् 2017 से 2020 में गैर मुमकिन पहाड भूमि थी, जो धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत आवंटित/नियमन नहीं की जा सकती है। **इस सम्बन्ध में आर.आर. टी. 2012(1) पेज संख्या 191 की पेश की** । विवादित भूमि पर आवंटन से पूर्व से प्रार्थी

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

तथा अन्य व्यक्तियों का कब्जा था। ऐसी भूमि का कानूनन आवंटन व नियमन तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि कब्जेधारी को विधिक प्रक्रिया अपना कर बेदखल न किया गया हो । **इस सम्बन्ध में प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने आर.आर.डी 1982 पेज संख्या 237, आर. आर. डी. 1982 पेज संख्यां 441 आर. आ. डी. 1982 पेज संख्या 305 एवं आर. आर. डी.1985 पेज संख्या 33 के दृष्टान्त पेश किये।** वर्ष 1968 में आवंटन के समय अप्राथी संख्या 1 नावालिग था, उसकी उम्र 17 वर्ष थी जिसकी पुष्टि वोटर लिस्ट से होती है। नावालिग व्यक्ति आवंटन कराये जाने हेतु योग्य नहीं है। **इस सम्बन्ध में डी. एन. जे. (3) राज. एच.सी पेज संख्या 1367 की नजीर पेश की।** अप्रार्थी संख्या 1 ने साजिसन अवैध रूप से बिना किसी आवंटन व नियमन के आदेश दिनांक 26.8.2015 को अप्रार्थी संख्या 3 से साज कर सन् 1968 का आवंटन अपने पक्ष में करवाते हुए जरिये नामान्तकरण संख्या 355 गैर खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिये है जो अवैध है। अप्रार्थी 3 द्वारा आवंटन सन् 1968 के आधार पर विवादित आराजी पर गैर खातेदारी अंकित करने हेतु आदेश सरवन पुत्र करन सिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम अतरसूमा के पक्ष में जारी किये गये तथा नामान्तकरण संख्या 355 गैर खातेदारी का इन्द्राज अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष किया गया है, जबकि सरदार सिंह के पक्ष में गैर खातेदारी के अमल हेतु कोई आदेश भी नहीं था। इस प्रकार नामान्तकरण संख्या 355 अपने आप में गलत एवं अवैध है। विवादित आराजी जमाबन्दी खाता संख्या 390 सम्वत् 2073 से 2076 में अप्रार्थी संख्या 1 गैर खातेदार दर्ज है तथा उक्त खसरा नम्बरान को अप्रार्थी संख्या 1 ने साजिसन बिना किसी आदेश के तथा बिना किसी नामान्तकरण के जमाबन्दी खाता संख्या 403 सम्वत् 2073 से 2076 में खातेदार अंकित करवा लिया जो गलत व अवैध है। **इस सम्बन्ध में आर. आर. टी. 2014 (1) पेज संख्या 117 व आर. आर. टी. 2005(1) पेज संख्या 634 की नजीर पेश है।** अप्रार्थी संख्या 1 सन् 1968 में तथाकथित आवंटन के वक्त भूमिहीन व्यक्ति की श्रेणी में भी नहीं आता है। अप्रार्थी संख्या 1 आराजी खसरा नम्बर 1085, 683, 764, 768, 840, 841, 857, 950, 951, 974, 987, 1033, 107, 1088, 823, 953 का खातेदार काश्तकार था। सरकारी भूमि का आवंटन भूमिहीन को ही किया जा सकता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में हुए अवैध तथाकथित आवंटन सन् 1968 निरस्त किया जावे तथा उसके आधार पर हुए आदेश तारीखी 26.8.2015 को निरस्त किया जावे एवं विवादित आराजी को पुनः सरकारी भूमि अंकित करने के आदेश दिये जावे।

अप्रार्थी संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में जबाव में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक का यह कथन गलत है कि विवादित भूमि सन् 1968 में वक्त आवंटन गैर मुमकिन पहाड थी। सत्यता यह है कि वक्त आवंटन भूमि सिवायचक भूमि राजस्व रिकोर्ड में दर्ज थी। आवंटन आदेश में खसरा नम्बर 604 के स्थान पर 601 हो गया था, जिसे कटिंग कर 604 किया गया है कटिंग पर तहसीलदार के लघु हस्ताक्षर हो रहे हैं। अप्रार्थी के पक्ष में हुए आवंटित रकवे पर प्रार्थी अथवा अन्य किसी व्यक्ति का कोई कब्जा नहीं था। बल्कि उक्त रकवे पर अप्रार्थी का कब्जा आवन्टन से पूर्व का था। आवंटित रकवा पूर्ण रूप से आवंटन योग्य भूमि था, जिसका विधिवत आवंटन अप्रार्थी के पक्ष में किया गया था। आवंटन प्रार्थना पत्र पर आवंटन की तारीख 14.6.1968 स्पष्ट रूप से दोनों पेजों पर अंकित है। आवंटन प्रार्थना पत्र पर अप्रार्थी स्वयं के हस्ताक्षर हैं, अपने हस्ताक्षर से आवंटन अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया था। उसी के आधार पर आवंटन कमेटी द्वारा

(आर० के० जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर

अप्रार्थी के नाम से आवंटन आदेश दिया गया था। आवंटन आदेश व कब्जे के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 355 से अप्रार्थी को गैर खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये । तत्पश्चात् अप्रार्थी को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये। तथा राजस्व रिकोर्ड में अप्रार्थी के नाम का अंकन विधिवत पूर्ण जाँच के पश्चात् किया है। अप्रार्थी वक्त आवंटन भूमिहीन था तथा आवंटन के योग्य पात्र था। राजस्व कर्मचारियों द्वारा जाँच करने के पश्चात् उसे आवंटन योग्य पात्र पाया था। वक्त आवंटन अप्रार्थी वयस्क था। जिसकी पुष्टि विद्यालय से जारी प्रमाण पत्र से होती है, जिसमें अप्रार्थी की जन्मतिथि 10.4.1949 अंकित है। प्रार्थना पत्र लगभग 50 वर्ष पश्चात् पेश किया गया है। खातेदारी अधिकार प्राप्त होने पर आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता। गाँव में सरवन नाम का कोई व्यक्ति नहीं हैं सरवन व सरदार सिंह एक ही व्यक्ति है। अप्रार्थी को आवंटन नियम 1957 के अनुसार हुआ हैं, जिसे निरस्त नहीं किया जा सकता। **इस सम्बन्ध में अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने आर. आर. टी. 2019 (2) पेज संख्या 1065 की नजीर पेश की।** प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र रंजिशन पेश किया है। क्योंकि प्रार्थी व अन्य लोग ग्राम अतरसूमा की चारागाह भूमि को अनाधिकृत रूप से जोत रहे थे। जिसकी शिकायत अप्रार्थी हरीओम ने तहसीलदार बसेडी को दिनांक 7.8.2018 को की थी। जिस पर प्रार्थी ने अप्रार्थी के साथ झगडा किया था। जिसके कारण पुलिस थाना बसेडी ने प्रार्थी व अप्रार्थी को न्यायालय उपखण्डाधिकारी बसेडी में धारा 107/151 सी.आर.पी.सी.के तहत इस्तगासा पेश किया था। जिसमें दोनों पक्षों को 25–25 हजार रूपये के मुचलकों पर रिहा किया था। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे ।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन कर मनन करने एवं प्रस्तुत नजीरों का गहनता पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक का यह कथन कि विवादित आराजी वक्त आवंटन गैर मुमकिन पहाड थी, सिद्ध नहीं होता। इस सम्बन्ध में तहसीलदार बसेडी ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि ग्राम अतरसूमा के राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी 2074–2077 (2017) में विवादित खसरा नम्बर 730/2 रकवा 0.47 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1207/731 रकवा 0.40 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 732 रकवा 0.14 हैक्टेयर की किस्म जमीन डहरी प्रथम है। इससे पूर्व जमाबन्दी सम्वत् 2026–2029 (1969) में उपर्युक्त हाल खसरा नम्बर के गत साविक खसरा नम्बर 604/1053, 604/1054, 604/1055 की किस्म जमीन डहरी अब्वल है तथा इससे पूर्व जमाबन्दी सम्वत् 2013–2016(1956) में उपर्युक्त खसरा नम्बर के गत खसरा नम्बर 1/1 रकवा 550 बीघा 11 विस्वा की किस्म जमीन ऊसर रिकोर्ड दर्ज है। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक का यह कथन सही कि विवादित भूमि पर आवंटन से पूर्व से प्रार्थी तथा अन्य व्यक्तियों का कब्जा था, जिनको समय समय अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा बेदखल किया गया है, जिसकी पुष्टि खसरा परिवर्तनशील एवं पैनेल्टी रसीदों से होती है। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने इस कथन से हम सहमत नहीं हैं कि वर्ष 1968 में आवंटन के समय अप्राथी संख्या 1 नावालिग था, जिसकी उम्र 17 वर्ष थी जिसकी पुष्टि वोटर लिस्ट से होती है। अप्रार्थी संख्या 3 वक्त आवंटन वालिग था जिसकी पुष्टि प्रधानाध्यापक रा0 मा0 वि0 अतरसूमा के द्वारा जारी जन्म तिथि प्रमाण पत्र से होती है जिसमें अप्रार्थी संख्या 3 का जन्म दिनांक 10.4.1949 होता अंकित है। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र पर पटवारी हल्का ने भी अप्रार्थी संख्या 1 की उम्र लगभग 20 वर्ष बतलायी है। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक का यह

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर
धौलपुर (राज0)

कहना भी उचित नहीं हैं कि अप्रार्थी 3 द्वारा आवंटन सन् 1968 के आधार पर विवादित आराजी पर गैर खातेदारी अंकित करने हेतु आदेश सरवन पुत्र करन सिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम अतरसूमा के पक्ष में जारी किये गये तथा नामान्तकरण संख्या 355 गैर खातेदारी का इन्द्राज अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष किया गया है जबकि सरदार सिंह के पक्ष में गैर खातेदारी के अमल हेतु कोई आदेश भी नहीं था। इस सम्बन्ध में तहसीलदार बसेडी ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि विवादित आराजी को गैर खातेदार दर्ज करने के आदेश दिये गये थे, जिसमें लिपिकीय त्रुटि हो जाने के कारण सरवन को काटकर सरदार किया गया है। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक का यह कहना कि विवादित आराजी जमाबन्दी खाता संख्या 390 सम्वत् 2073 से 2076 में अप्रार्थी संख्या 1 गैर खातेदार दर्ज है तथा उक्त खसरा नम्बरान को अप्रार्थी संख्या 1 ने साजिसन बिना किसी आदेश के तथा बिना किसी नामान्तकरण के जमाबन्दी खाता संख्या 403 सम्वत् 2073 से 2076 में खातेदार अंकित करवा लिया, जो गलत व अवैध है सिद्ध नहीं होता। इस सम्बन्ध में तहसीलदार बसेडी ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि विवादित खसरा नम्बर के नामान्तकरण संख्या 355 दिनांक 5.9.2015 द्वारा सरदार पुत्र करन सिंह जाति ठाकुर गैर खातेदार दर्ज किया था। उसके बाद पटवारी हल्का द्वारा सैग्रीगेशन के समय उपर्युक्त खसरा नम्बर भूल से गैर खातेदार से खातेदार दर्ज हो गया था, जिसकी जानकारी मिलने पर पटवारी हल्का द्वारा शुद्धि की कार्यवाही कराई गई, जिसमें तहसीलदार बसेडी ने पत्र दिनांक 18.7.2019 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को गैर खातेदार करने हेतु पटवारी हल्का को आदेश दिया गया, जिसकी पालना मे संशोधित नामान्तकरण दर्ज किया गया परन्तु न्यायालय द्वारा उक्त खसरा नम्बर पर स्थगन आदेश होने के कारण नामान्तकरण स्वीकृत नहीं हो सका। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने ऐसा कोई साक्ष्य या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया, जिससे यह सिद्ध हो सके कि वक्त आवंटन अप्रार्थी संख्या 1 भूमिहीन नहीं था। जबकि आवंटन प्रार्थना पत्र में पटवारी हल्का की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 सन् 1968 में आवंटन के वक्त भूमिहीन व्यक्ति था ।

उपरोक्त विवचेन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना व आवंटन यथावत रखा जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तथा विवादित आराजी अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में किया गया आवंटन दिनांक 14.6.1968 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रतिलिपि के साथ वापिस भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.2.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज०)

(आर० के० जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

(आर. के. जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर